प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 21.07.2024

दहेज प्रताड़ना व हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एंव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में 30नि0 अभिषेक कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 479/2024 धारा 85,109 भा0न्या0सं0 व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त संजय चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रतिवादी द्वारा वादी की लड़की को दहेज के लिये प्रताड़िता करना तथा दहेज की माँग को पूरा न करने पर जान से मारने की नियत से वादी की लड़की के ऊपर डीजल डालकर जला देने के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय चौधरी पुत्र पारस चौधरी निवासी तिवरान टोला चुड़िहरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 479/2024 धारा 85,109 भा0न्या0सं0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

- 1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 2. उ0िन0 अभिषेक कुमार राय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 3. का0 गोल् यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 4. का0 रमाशंकर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 5. का0 अरविन्द नाविक थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर